

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †1410

सोमवार, 9 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

हिसार और सोनीपत में पर्यटन परियोजनाओं का सतत कार्यान्वयन

†1410. श्री जय प्रकाश:

श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार हिसार और सोनीपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और ग्रामीण पर्यटन की संभावनाओं से अवगत है;
- (ख) क्या सरकार से सहायता प्राप्त परियोजनाएं अपेक्षित गति से कार्यान्वित नहीं की जा रही हैं, जिससे क्षेत्रीय पर्यटन विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक कार्यकलाप प्रभावित हो रहे हैं;
- (ग) उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में वर्ष 2019 से पर्यटन विकास के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या तथा अब तक आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या उक्त परियोजनाओं में अवसंरचना, कनेक्टिविटी, प्रचार-प्रसार और स्थानीय भागीदारी की कमी की समीक्षा की गई है;
- (ङ) क्या सरकार द्वारा उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में पर्यटन परियोजनाओं के शीघ्र, प्रभावी और सतत कार्यान्वयन के लिए कोई विशिष्ट समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तावित की गई है;
- (च) क्या परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब, भूमि अधिग्रहण या अन्य प्रशासनिक बाधाओं की समीक्षा की गई है; और
- (छ) क्या उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में पर्यटन अवसंरचना, सुविधाओं और प्रोत्साहन को सुदृढ़ करने के लिए कोई विशिष्ट समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तावित है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (छ): पर्यटन मंत्रालय हरियाणा के गंतव्यों सहित देश के पर्यटन महत्व को समझता है। जबकि पर्यटन स्थलों और उत्पादों का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है, पर्यटन मंत्रालय अपनी केंद्रीय क्षेत्रों की योजनाओं जैसे 'स्वदेश दर्शन (एसडी)', 'स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0)', 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)' - स्वदेश दर्शन योजना की एक उप-योजना तथा 'तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' के तहत संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से योजना दिशानिदेशों एवं सरकारी

निदेशों के अनुरूप परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति और निधियों की उपलब्धता आदि के आधार पर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके देश में पर्यटन अवसंरचना विकास के प्रयासों को संपूरित करता है।

भारत सरकार ने अपनी 'पूँजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) - वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास' नामक पहल के तहत देश में प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों को व्यापक रूप से विकसित करने और वैश्विक स्तर पर उनकी ब्रांडिंग और विपणन करने के मूल उद्देश्य से परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

उपर्युक्त योजनाओं के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भूमि उपलब्ध कराना संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है और इन योजनाओं के तहत सृजित परिसंपत्तियों/परियोजनाओं का प्रचालन और प्रबंधन भी उनके द्वारा किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय समय-समय पर शीघ्रता से इनके कार्यान्वयन सहित विभिन्न पहलुओं पर इन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करता है और संबंधित मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करता है।

यद्यपि परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति इस प्रक्रिया का एक भाग है, वर्तमान में पर्यटन मंत्रालय के पास रोहतक जिले सहित हरियाणा में परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन, स्वदेश दर्शन 2.0 और प्रशाद योजना के तहत हरियाणा में स्वीकृत परियोजना का ब्यौरा इस प्रकार है:

(करोड़ रु. में)

योजना	परियोजना/अनुभव का नाम	परिपथ/ गंतव्य	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि	जारी या अधिकृत राशि (आर), जारी या उपयोग के लिए अधिकृत राशि (ए) और उपयोग की गई राशि (यू)
स्वदेश दर्शन	कुरुक्षेत्र में महाभारत से संबंधित स्थानों पर पर्यटन अवसंरचना का विकास	कृष्ण परिपथ	2016-17	77.39	76.74 (यू)
स्वदेश दर्शन 2.0	टिक्कर ताल और एडवेंचर पार्क में एडवेंचर टूरिज्म हब का विकास	पंचकुला	2024-25	26.68	2.67 (ए)
स्वदेश दर्शन 2.0	यादविन्द्रा गार्डन का कायाकल्प	पंचकुला	2024-25	65.82	6.58 (ए)
प्रशाद	पंचकुला जिले में माता मनसा देवी मंदिर और नाडा साहेब गुरुद्वारा का विकास	पंचकुला	2019-20	48.53	34.68 (यू)
